Prospecting Licence for Copper and Minerals

2258. SHRI JANARDHANA POOJARY: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether a U.S. based firm Phelps Dodge has been given a prospecting licence for copper and associated minerals in Bihar; and

(b) if so, the details in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI RAMESH BAIS): (a) and (b) Prospecting Licence is granted by the State Government concerned in accordance with the provisions of Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 and the rule made thereunder. As per the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957, Preos-pecting licence can be given only to an Indian National or a company defined in sub-Section (1) of Section (3) of the Companies' Act, 1956, provided that in respect of any mineral specified in the 1st Schedule for the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957, no prospecting licence shall be granted except with the previous approval of the Central Government.

One proposal for grant of prospecting licence for aerial prospecting in favour of Ms. Phelps Dodge Exploration India Pvt. Ltd. a wholly owned subsidiary of Phelps Dodge Corporation, USA over an area of 2472 sq. kms. in District Singhbhum (East) and Singhbhum (West), Bihar for Copper and Asscited Minerals, was received from Government of Bihar seeking Central Government's approval. After due examination as per the provisions of Law, Central Govt.'s approval has been accorded and conveyed for the same to the Govt, of Bihar.

दिल्ली विकास प्राधिकरण आवास योजना, 1989

2259. **श्री चुन्नी लाल चौधरी** : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी हैं कि डी0 डी0 ए0 ने 1989 में अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में जो आवासीय योजना अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष रूप से बनाई थी, उस योजना के अंतर्गत पंजीकृत व्यक्तियों को अभी तक मकाम नहीं मिले हैं,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं,

(ग) उक्त योजना में किश्तों में भुगतान करने पर मकान मिलने का प्रावधान था, लेकिन अब एकमुश्त राशि की मांग की जा रही हैं, इसके क्या कारण हैं, और

(घ) सरकार इस संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के कल्याणार्थ क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्रीराम जेठमलानी) : (क) और (ख) जी, हां । अंबेडकर आवास योजना के पंजीकृत व्यक्तियों को अभी तक मकान न मिलने के निम्नलिखित कारण हैं :

(i) फ्लैटों के निर्माण के लिए पर्याप्त भूमि की अनुपलब्धता ।

(ii) अन्य एजेन्सियों के मूल सुविधाओं जैसे मल व्ययन, पेय जल, बिजली की अनुपलब्धता ।

(iii)भवन निर्माण सामग्री को कमी ।

(iv) न्यायिक मामले आदि ।

(ग) और (घ) अम्बेडकर आवास योजना-1998 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए शुरू की गई थी । दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया हैं कि स्कीम की पंजीकरण पुस्तिका के अनुसार निम्न आय वर्ग के 40% प्लैट और मध्यम आय वर्ग के 25% प्लैट नकद आधार पर आवंटन के लिए नियम किए गए थे और निम्न आय वर्ग के 60% और मध्यम आय वर्ग के 75% प्लैट्स किराया खरीद आधार पर आवंटन के लिए नियत किए गए थे । दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बाद में संकल्प पारित करके उपर्युक्त आय वर्गों के लिए 50% प्लैट्स नकद आधार पर और 50% प्लैट्स किराया खरीद आधार पर नियत किए ।